



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 24.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 05 मामलों में कुल 05 अभियुक्तों को 14 हजार 500 रुपए अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 05 मामलों में कुल 05 अभियुक्तों को कुल 14 हजार 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-504/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त इरशाद पुत्र जावेद निवासी मनोहरी गंज थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को 3000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना तिंदवारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-58/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त विक्रम पुत्र शिवमंगल निवासी रामनगर थाना तिंदवारी जनपद बांदा को 5000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना गिरवां पर पंजीकृत मु0अ0सं0-224/22 धारा 8/20 एनडीपीएस के अभियुक्त बडकू पुत्र चन्द्रपाल निवासी गिरवां थाना गिरवां जनपद बांदा को 1000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
4. थाना गिरवां पर पंजीकृत मु0अ0सं0-146/23 धारा 279/427 भादवि के अभियुक्त बिष्णु पुत्र राजाभइया निवासी काजीपुर थाना गिरवां जनपद बांदा को 3000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
5. थाना गिरवां पर पंजीकृत मु0अ0सं0-204/2009 धारा 279/337/338 भादवि के अभियुक्त ब्रजेश पुत्र रामचरन निवासी लडाका पुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को 2500 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।